SHRI B. N. DATAR: It has been reduced in the case of a number of persons who were getting more than Rs. 10 lakhs when a succession opened. In the case of others also, it has been reduced as per the agreement. The other cases also are at least 10 or 11.

SHRI BHUPESH GUPTA: Since mahy of the Princes are rather young, I take it that the succession is not going to open very soon, not until the 10th Five Year Plan period. May I know, in view of the fact that the Princes have not responded to the appeal by the Prime Minister and also in view of the fact that there is stringency as far as finances in the country is concerned, why is the Government not considering the question of reviewing all these agreements to reduce the amount at least, not abolish it? It is open to the Government under the Constitution and even under their Covenants.

SHRI B. N. DATAR: I have already made the whole position clear. Under article 291 of the Constitution, these Covenants and Merger Agreements have been duly guaranteed and, therefore, so long as they are there, unless in accordance with the terms of the Agreements themselves or by subsequent agreements between the parties, it would not be possible to reduce them.

SHRI BHUPESH GUPTA: Do I understand, Sir . . .

MR. CHAIRMAN: Shri Bhargava.

SHRI BHUPESH GUPTA: One question, Sir. When the ruling party gives nomination, Congress ticket, to them, do they ask them to undergo voluntary cuts? What about the Gwalior Maharani?

(No reply.)

विश्वविद्यालयों में दाखिला

*१७६. श्री भगवत नारायण भार्गव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस विषय में कोई नीति निर्धारित की है कि तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्व-विद्यालयों में दाखिल न किया जाये ; और

(ख) कौन कौन सी नौकरियों में तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भर्ती करने पर रोक है ?

ADMISSION INTO UNIVERSITIES

•179. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any policy with regard to non-admission in universities of those students who pass with 3rd Division; and

(b) what are the posts to which the recruitment of students who pass in 3rd Division is prohibited?]

शिक्षा मंत्री (डा० कालू लाल श्रीमाली) : (क) जी नहीं ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

t[THE MINISTER OF EDUCATION (DR. K. L. SHRIMALI): (a) No, Sir.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the Hous<*.]

श्री भगवत नारायण भार्गव : क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि "ब" के संबंध में जो सूचना इकट्ठी की जा रही है वह किस सिद्धान्त के आधार पर की जा रही है ? क्या वह सिद्धान्त यह है कि तीसरे डिवीजन में पास विद्यार्थियों को कोई पोस्ट नहीं दी जायेगी ?

[ ] English translation.

डा० कालू लाल श्रीमाली : कोई सिद्धान्त नहीं है। आपने जो सवाल पूछा था उसी के आधार पर इंफारमेशन इकट्ठी की जा रही है।

श्री भगवत नारायण भार्गव : मेरे सवाल पूछने का मतलब यह है कि क्या तीसरी श्रेणी में पास किसी विद्यार्थी को कोई पोस्ट नहीं दी जायगी और गवर्नमेंट जो इंफारमेशन कलैक्ट कर रही है उसका आधार क्या है ?

डा० कालू लाल श्रीमाली : मेरा ख्याल है कि आप का सवाल साफ है। आपका पहला सवाल यह है—"क्या सरकार ने इस विषय में कोई नीति निर्धारित की है" । इसका जवाब दिया गया है, जी नहीं। दूसरा सवाल आपका यह है "कौन कौन सी नौकरियों में तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भर्ती करने पर रोक है" । तो इसका उत्तर यह है कि इस संसद में हमारे पास इस समय कोई सूचना नहीं है और वह सब मिनिस्ट्रीज और एजूकेशन डिपार्टमेंट से इकट्ठी की जा रही है और वह इत्तला के लिए इकट्ठी की जा रही है।

श्री भगवत नारायण भार्गव : आप जो दरियाफ्त कर रहे हैं वह किन किन पोस्टों के बारे में कर रहे हैं और ऐसी कौन सी पोस्टें हैं जिनमें तीसरी श्रेणी के विद्यार्थियों को नहीं लिया जाता है। यह तो एक तरह से इस बात का एडमिशन है कि ऐसी पोस्टें हैं जिसमें तीसरी श्रेणी के विद्यार्थियों को नहीं लिया जाता है और इसीलिए आप इस बारे में इत्तला इकट्ठी कर रहे हैं। तो मैं यह पूछ रहा था कि इस बारे में आपकी क्या नीति है ?

डा० कालू लाल श्रीमाली : कोई नीति नहीं है। आपने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब देना सरकार का कर्त्तव्य है जिससे कि आप संतुष्ट हो जायें।

श्री ए० बी० वाजपेयी : क्या यह सच नहीं है कि समय समय पर इस तरह के विचार व्यक्त किये गये हैं कि जो छात्र तीसरी श्रेणी में परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं उनका विश्वविद्यालय में प्रवेश मर्यादित करने के प्रश्न पर विचार किया जायें ?

डा० कालू लाल श्रीमाली : विश्वविद्यालय हीं इस बात को निश्चित करते हैं कि कौन कौन से कोर्सों के लिए किस प्रकार के डिवीजन की आवश्यकता होती है जैसे टैक्नीकल और प्रोफेशनल कालेज कोर्स हैं जिसमें ५० प्रतिशत से ऊपर मार्क वाले विद्यार्थी लिये जाते हैं। यूनीवर्सिटीज स्वयं यह बात निश्चित करती है कि किस कोर्स के लिए कितनी मर्यादा होनी चाहिए।

SHRI N. M. LINGAM: Government is earmarking a large amount of money for scholarships for university education for the backward classes. May I know if it is the intention of the Government to ban the admission of these classes also if they decide on such a policy with regard to university admission?

DR. K. L. SHRIMALI: I have already clearly indicated that Government has not formulated any policy, Government has not made any recommendation to the universities. It is for the universities to decide. As far as the backward classes are concerned, Government are interested in their growth and development and with that view, is allocating large sums of money for scholarships.

PANDIT S. S. N. TANKHA: The Government is not able to give exact information regarding the posts for which students passing in the third division have been prohibited employment. The Education Ministry should at least have the information whether any such posts exist from which students who pass in the third division are barred tfrom employment. This information should be in their possession.

DR. K. L. SHRIMALI: As the hon. Member is aware, the Education Ministry is responsible for the recruitment of officers under their departments. The other Ministries may have separate rules for them. Therefore, this information is not available with us; it will have to be collected from the various Ministries and departments of the Government.

श्री भगवत नारायण भार्गव : क्या यह सही है कि अखबारों में जो विज्ञापन प्रकाशित किये जाते हैं उनमें यह लिखा रहता है कि फर्स्ट डिवीजन के विद्यार्थियों को लिया जायेगा और तीसरे श्रेणी के विद्यार्थियों को नहीं लिया जायेगा ?

SHRI BHUPESH GUPTA: As far as we know, third division is no disqualification for recruitment to the Council of Ministers. May I know, Sir, what happens in the case of many third division students, how the Government proposes to look after them? Or are they to remain unemployed without any opportunities in life?

SHRI ARJUN ARORA: Let them all become Ministers.

DR. K. L. SHRIMALI; They are all Members of Parliament and there is no . .

MR. CHAIRMAN: Disqualification. DR. K.

L. SHRIMALI: Yes.

पुरातत्व संबंधी महत्व की मूर्तियां

*१८०. श्री भगवत नारायण भार्गव : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को चेतावनी दी है कि पुरातत्व सम्बन्धी महत्व की मूर्तियों के रखरखाव, रक्षा, चोरी, खण्डन आदि की सामयिक रिपोर्ट देते रहें ; और

(ख) १९६१-६२ में कितनी मूर्तियों की (१) चोरी होने (२) खण्डित हो जाने और (३) भूमि खोद कर निकाले जाने की सूचना सरकार को मिली और ये मूर्तियां कहां स्थित थीं ?

IDOLS OF ARCHAEOLOGICAL IMPORTANCE

*180. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the Minister of SCIENTIFIC RESEARCH AND CULTURAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government asked their subordinate officers to submit reports from time to time about the preservation, protection, theft and breakage, etc. of idols of archaeological importance; and

(b) how many idols were *(i)* stolen (ii) broken, and (iii) excavated during 1961-62, about which Government got such a report and where these idols were located?]

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० मन-मोहन दास) : (क) सरकार ने ऐसी रिपोर्टें नहीं मांगी हैं लेकिन कर्मचारी आर्क्योलाजी के महानिदेशक को सुरक्षित जगहों और यादगारों के बारे में रिपोर्ट जरूर भेजते हैं ।

(ख) (१) १६

[ ] English translation.